of telephone bill collection centres in MTNL is given below:

	Delhi	Bomaby
MTNL Counters	31	43
Bank Counters	86	186
CTD/DTOs	44	16
Post Offices		32
	161	277

In addition five mobile vans are visiting different places in Delhi on scheduled days.

Ahmedabad is not a unit of MTNL.

(b) Timing in respect of collection Centres is given below:

MTNL Counters	10.00 a.m. to 3.30 p.m.
Telegraph Office	10.00 a.m. to 5.00 p.m.
Banks	Normal Banking Hrs.
Mobile Vans	10.00 a.m. to 5.00 p.m.

(c) There is no proposal to change the timings of MTNL Collection Centres.

(d) Does not arise in view of (c) above.

(e) MTNL is actively considering the opening of more collection centres to serve the customers and to avoid any inconvenience to them in payment of telephone bills.

Textile Workers rendered jobless in Gujarat

1649. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of textile mills closed in Gujarat;

(b) the estimated number of workers rendered jobless;

(c) the steps proposed to be taken to rehabilitate these workers;

(d) whether Govrnment intend to release funds through the NRF scheme, and if so, by when and the amount expected to be released?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) As on 31.5.96, no Cotton/man-made fibre mill is closed in Gujarat under I.D. Act, 23 mills were closed under liquidation and 32 mills were temporarily closed mainly due to financial difficulties.

(b) The number of workers affected was 93741.

(c) Government has established Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme to provide interim relief to the workers of permanently/partial closed mills.

(d) Department of Industrial Development will take up action after finalisation of modalities for grant of assistance from NRF.

रेल के सवारी डिब्बों में सामान की चोरी

1650. **श्री अजीत जोगी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को द्वितीय श्रेणी के आरक्षित शयनयान-डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान की चोरी की घटनाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) रेलों में होने वाले अपराध सहित अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच-पड़ताल करना, पता लगाना और उसकी रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्यों में, आमतौर पर राजकीय रेलवे पुलिस (जी० आर० पी०) नामक एक संगठन होता है जो रेल गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर होने वाले अपराधों से निपटने के लिए ही होता है।

Policy for Polluting Vehicles

1651. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have evolved any long term policy for phasing out older vehicles in the country which are the major source of air pollution;

(b) if so, the detials thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATRAMAN): (a) to (c) As per the provisions of the Motor Vehicles Act/Rules, certificate of fitness is required for initial registration as well for renewal of registration for all categories of vehicles. Further, the matter of validity of fitness certificate upto certain period of all categories of vehicles as precribed under rule 62 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 has been referred to a Sub-Committee reviewing the Central Motor Vehicles Rules, 1989 having technical bearing. This sub-committee has since submitted its report.

In addition to this, in order to check vehicular pollution necessary provisions has been made under rule 115(7) of Central Motor Vehicles Rules, 1989, under which every motor vehicle shall carry "Pollution Under Control" certificate after one year of initial registration from the agencies authorised by the State Governments. The period of validity of such certificate is six months or less as prescribed by the concerned State Governments.

मधुबनी जिले में सांसदों द्वारा संस्तुत टेलीफोनों का न लगाया जाना

1652. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबनी जिले में सांसद कोटा से संस्तुत और वर्ष 1995-96 के दौरान संचार विभाग द्वारा स्वीकृत, ऐसे टेलीफोनों का ब्यौरा क्या है; जिन्हें अब तक नहीं लगाया गया;

(ख) इन टेलीफोनों को न लगाए जाने के क्या कारण है; और

(ग) ऐसे मामलों में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) केवल छः मामले लंबित हैं। ब्यौरे विवरण में दिए गए है। (नीचे देखिए)

(ख) लम्बी दूरी के कनेक्शनों के कारण पांच मामले लंबित हैं क्योंकि इन के लिए पांच-पांच कि०मी० की दूरी पर नई एलाइनमेंट का निर्माण करना पड़ता है। एक मामला उपभोक्ता के कारण लंबित है।

(ग) स्टोर की व्यवस्था करके 31.03.1997 तक ये सभी कनेक्शन प्रदान किए जाने के प्रयास किए गए हैं तथापि यह उपभोक्ताओं द्वारा तीन मामलों में जहां दूरी 5 कि० मी० से अधिक है, किराया और गारंटी की शर्त की स्वीकृति के अधीन होगी।

विवरण

मधुबनी जिले में वर्ष 1995-96 के दौरान माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर अभी तक स्थापित नहीं किए गए टेलीफोन संबंधी ब्यौरे:—

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	संसद सदस्य का नाम	अभ्युक्तियां
1.	श्री गंगानन्द मिश्रा नेहार पच्छूल, मधुबनी	श्री चतुरानन्द मिश्रा	गंगानन्द मिश्रा के नाम आवेदित और भुगतान किया गया
2.	श्री चन्द्रकिशोर राय, अण्डराथाड़ी दमोदरपुर, मधुबनी	श्री भोगेन्द्र झा	दूरभाष केन्द्र से 7 किलोमीटर की दूरी
3.	श्री जयशंकर झा भोज पच्छूल, मधुबनी	श्री राम टेहल चौधरी	दूरभाष केन्द्र से 6 किलोमीटर की दूरी
4.	श्री अलोक कुमार सारबे तारापट्टी, खाजौली मधुबनी	श्री भोगेन्द्र झा	दूरभाष केन्द्र से 3 किलोमीटर की दूरी
5.	श्री योगेन्द्र प्रसाद मण्डल, धवजा बीसकी मधुबनी	श्री भोगेन्द्र झा	दूरभाष केन्द्र से 15 किलोमीटर की दूरी
6.	श्री हाफिज अब्दुल जलील खोगड़ा, दरभंगा	श्री भोगेन्द्र झा	दूरभाष केन्द्र से 4 किलोमीटर की दूरी